

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2014/माघ 3, 1935

No. 22]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2014/MAGHA 3, 1935

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2014

भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों से संबंधित स्थानांतरण नीति

सं. 11011/3/2013- आईईएस.-1. भूमिका

1.1 आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारियों के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों के स्थानांतरण तथा उनके स्थापन में अधिक निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने तथा साथ ही अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त स्थानांतरण/स्थापन नीति का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

1.2 अब से भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण तथा स्थापन भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) हेतु गठित की गई स्थापन समितियों की सिफारिशों पर निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा :

1.3 ये दिशा-निर्देश सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. आईईएस अधिकारियों के स्थानांतरण और स्थापन के लिए स्थापन समिति का गठन

दो स्थापन समितियों का गठन किया जाएगा जिनमें से एक समिति कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड(जेएजी)/नॉन फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी) से संबंधित तथा दूसरी समिति वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) और इनसे ऊपर के ग्रेड के अधिकारियों से संबंधित होगी ।

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) और इनसे ऊपर के ग्रेड के अधिकारियों के लिए प्रस्ताव है कि भारतीय आर्थिक सेवा हेतु स्थापन समिति (I) का निम्नवत गठन किया जाए :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| (i) मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) | —अध्यक्ष |
| (ii) वरिष्ठतम आईईएस अधिकारी | —सदस्य |
| (iii) वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (आईईएस) | —सदस्य संयोजक |

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड(जेएजी)/नॉन फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी) तक के अधिकारियों के लिए प्रस्ताव है कि भारतीय आर्थिक सेवा हेतु स्थापन समिति (II) का निम्नवत गठन किया जाए :

- | | |
|--|---------------|
| (i) सलाहकार (आईईएस) | —अध्यक्ष |
| (ii) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी | —सदस्य |
| (iii) निदेशक (आईईएस) | —सदस्य संयोजक |

2.1 स्थापन समिति (I) की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी। स्थापन समिति (I) की सिफारिशों को अनुमोदित करने के लिए सचिव/वित्त मंत्री सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

2.2 स्थापन समिति (II) की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

स्थापन समिति (II) की सिफारिशों को अनुमोदित करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

3. भारतीय आर्थिक सेवा(आईईएस) के लिए स्थापन समिति (I और II) के कार्य

3.1 समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :

- भारतीय आर्थिक सेवा में विभिन्न ग्रेडों के पदों पर अधिकारियों की पसंद के क्षेत्र में नियुक्ति के लिए अधिकारियों के नामों पर विचार करने और उनकी उपलब्धता के लिए उनकी प्रतिभा तथा पात्रता को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करना ।
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों की निर्धारित न्यूनतम तैनाती अवधि पूर्ण होने से पहले ही विभाग/मंत्रालय के द्वारा किए गए स्थानांतरण अनुरोध पर विचार करना तथा सिफारिश करना ।
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों की निर्धारित न्यूनतम तैनाती अवधि पूर्ण होने से पहले ही उनके द्वारा स्थानांतरण हेतु अनुरोध करते हुए दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करना तथा सिफारिश करना ।

4. आईईएस अधिकारियों का कार्यकाल निर्धारित करना

4.1 भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के विभिन्न पदों से संबंधित विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल निम्नवत होगा :

कनिष्ठ समयमान	दो वर्ष
वरिष्ठ समयमान	तीन वर्ष
संयुक्त कनिष्ठ समयमान और वरिष्ठ समयमान	तीन वर्ष

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	तीन वर्ष
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/नॉन फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड	तीन वर्ष
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	तीन वर्ष

4.2 एसएजी ग्रेड से वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अर्थात् उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड और उच्च प्रशासनिक ग्रेड +(अर्थात् शीर्षस्थ स्केल) के लिए न्यूनतम सेवा अवधि दो वर्ष होगी।

4.3 तथापि, उपर्युक्त पैरा 4.1 और 4.2 में उल्लिखित न्यूनतम कार्यकाल अधिकारी द्वारा कार्यकाल को पूरा करने से पहले अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने की स्थिति में लागू नहीं होगा ।

4.4 किसी भी अधिकारी को पदोन्नति, प्रशासनिक औचित्य, कार्य की अत्यावश्यकता के आधार पर कार्यकाल पूरा होने से पहले स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों, जिनमें समय पूर्व स्थानांतरण अर्थात् तैनाती की अवधि के पूर्ण होने से पहले स्थानांतरण शामिल है, को संबंधित स्थापन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

4.5 भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी का किसी एक पद पर अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा ।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

राजन कुमार, सलाहकार (आईईएस)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2014

Transfer policy for officers of the Indian Economic Service (IES)

No. 11011/3/2013-IES.—1. Introduction

1.1 Department of Economic Affairs, Ministry of Finance is the Cadre Controlling Authority for the Indian Economic Service (IES) officers. In order to bring greater objectivity and transparency in the transfer and placement of officers of Indian Economic Service (IES) and also to provide better opportunities to officers to excel in the service, appropriate transfer/placement policy is of immense importance.

1.2 Henceforth, all transfers and postings of Indian Economic Service officers shall be effected on the recommendation of the Placement Committees constituted for Indian Economic Service (IES) in accordance with following Guidelines:—

1.3 These Guidelines shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Constitution of Placement Committees (PC) for transfer and placement of IES officers

There shall be two Placement Committees—one for officers up to Junior Administrative Grade (JAG)/Non Functional Selection Grade (NFSG) and the other for officers at Senior Administrative Grade (SAG) and above.

For officers at Senior Administrative Grade (SAG) and above, it is proposed that Placement Committee (I) for Indian Economic Service may be constituted as under:

(i) Chief Economic Advisor (CEA)	—Chairperson
(ii) Senior most IES Officer	—Member
(iii) Senior Advisor/Advisor (IES)	—Member Convenor

For officers up to Junior Administrative Grade (JAG)/Non Functional Selection Grade (NFSG), the constitution of the Placement Committee (II) is proposed as under :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| (i) Advisor (IES) | —Chairperson |
| (ii) Senior officer at SAG level | —Member |
| (iii) Director (IES) | —Member Convenor |

2.1 The recommendations of Placement Committee (I) would be placed before the Competent Authority for approval. The Competent Authority to approve recommendations of Placement Committee (I) shall be Secretary/ Finance Minister.

2.2 The recommendations of Placement Committee (II) would be placed before the Competent Authority for approval. The Competent Authority to approve recommendations of Placement Committee (II) shall be Chief Economic Advisor.

3. Functions of Placement Committee (PC I and II) for Indian Economic Service (IES):

3.1 It shall be the duty of the Committee :—

- (i) to make recommendations, having regard to the merits and eligibility for consideration and availability of officers in the field of choice for appointments to posts of various grades in the Indian Economic Service.
- (ii) to consider and make recommendation on the transfer request of the Department/Ministries in respect of an officer of the Indian Economic Service (IES) which is premature i.e. before completion of his/her stipulated minimum tenure of posting.
- (iii) to consider and make recommendation on the representation of an officer of Indian Economic Service (IES) requesting for premature transfer i.e before completion of his/her stipulated minimum tenure of posting.

4. Fixation of Tenure of IES Officers

4.1 The minimum tenure of service for officers of various grades to different posts in the Indian Economic Service shall be as under:

Junior Time Scale	Two Years
Senior Time Scale	Three Years
Junior Time Scale and Senior Time Scale combined	Three Years
Junior Administrative Grade	Three Years
Junior Administrative Grade /Non Functional Selection Grade	Three Years
Senior Administrative Grade (SAG)	Three Years

4.2 For officers senior to SAG grade i.e Higher Administrative Grade and Higher Administrative Grade + (i.e Apex Scale), the minimum service tenure shall be two years.

4.3 However, the minimum tenures mentioned in the paragraphs 4.1 and 4.2 above would not apply if the officer attains the age of superannuation before completion of the tenure.

4.4 An officer is liable to be transferred prior to completion of tenure, which may be due to reasons of promotion, administrative expediency and exigency of work. All such cases which involve premature transfer i.e before completion of stipulated minimum tenure of posting would be placed before the relevant Placement Committee for its consideration.

4.5 The maximum tenure of an officer of the Indian Economic Service shall be five years for a post.

This issues with the approval of Competent Authority.

RAJAN KUMAR, Advisor (IES)